

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 249 वीं बैठक दिनांक 26.10.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 1 से 7 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 3 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान द्वारा एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 4 उपायुक्त जोन द्वारा सीधे ही समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री एच.गुड़टे, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अशोक सिंह, निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त
6. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. श्री मनोज कुमार | उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर |
| 2. श्री डा.सत्य प्रकाश कस्वा | उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर। |
| 3. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव | उपायुक्त जोन -11, जविप्रा, जयपुर। |
| 4. श्री राजकुमार सिंह | उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर। |
| 5. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव | उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर। |
| 6. श्री राकेश कुमार गुप्ता | उपायुक्त पीआरएन दक्षिण -प्रथम, जविप्रा, जयपुर |
| 7. श्री लक्ष्मी नारायण बुनकर | उपायुक्त पीआरएन उत्तर जविप्रा, जयपुर। |
| 8. श्री एम.एल.गुर्जर | संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर। |
| 9. श्री के.के. मीना | उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर |
| 10. श्री गोपाल सैनी | उप नगर नियोजक, बीपीसी-एलपी, जविप्रा, जयपुर। |
| 11. सहायक नगर नियोजक | जोन-4,7,11, जविप्रा, जयपुर। |

एजेण्डा संख्या:-1 (249/25.10.2017)

विषय:- बी.पी.सी (एलपी) की 248 वीं बैठक दिनांक 15.09.2017 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 3 को छोड़ते हुये शेष की पुष्टि की गई तथा एजेण्डा संख्या 3 के निर्णय में निम्नानुसार संशोधन किया गया।

(एजेण्डा संख्या 248/15.09.2017)

ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर तथा ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर की भूमि कुल क्षेत्रफल 38541.89 वर्ग गज पर निजी खातेदारी की योजना वैशाली एस्टेट ब्लॉक-ए पार्ट-1 के योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना में खसरा नं. 2120,2121 व 2132 कि 2873.75 वर्गगज जविप्रा की स्वामित्व की भूमि नीहित है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रफल 47.43 प्रतिशत होने के कारण राजकीय/जविप्रा की भूमि में से आवासीय

आनुपातिक 1363.01 वर्गगज की नियमानुसार राशि लिये जाने के स्थान पर 1363.01 वर्ग गज भूमि समर्पित करवाई जाने का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित योजना मानचित्र का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-2--(जोन-4)-- (249/26.10.2017)

विषय:- मॉडल टाउन-सी योजना के अनुमोदित मानचित्र में प्रस्तावित 40 फीट सेक्टर रोड के अलाईन्मेंट में परिवर्तन करने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में दिये गये निर्णय/निर्देश के क्रम में जोनल प्लान तैयार किये जा रहे हैं। जोन द्वारा एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार त्रिमूर्ति अपार्टमेंट की भूमि को जविप्रा द्वारा नीलामी से विक्रय किया गया है अतः उतने ही क्षेत्र का कमिटमेंट मानते हुये इसे सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किये जाने की सहमति प्रदान की गई एवं इस क्षेत्र का जोनल प्लान बनाते समय इसका समायोजन किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-3-- (जोन-6)-- (249/26.10.2017)

विषय:- सिंधु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 16-एफ न्यू कॉलोनी में प्रस्तावित सैक्टर-31 की 80 फीट सैक्टर रोड की स्थिति मास्टर प्लान 2025 व मौके की स्थिति अनुसार अनुमोदन करवाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सड़क को मास्टर विकास योजना 2025 के अनुरूप ही रखा जावे एवं सेक्टर प्लान में तदअनुरूप संशोधन किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-4--(जोन-7)-- (249/26.10.2017)

विषय:- भूखण्ड संख्या 51 व 51ए, स्कीम न. 6 जय भवानी कॉलोनी से संबंधित अपील संख्या 200/2014 में माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 29.04.2015 का पालना किये जाने के संबंध में।

माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 25.04.2015 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 को समिति द्वारा सुना जाकर निर्णय लिया जाना है। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 समिति के समक्ष उपस्थित नहीं थे अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को भी उपस्थित होने हेतु उपायुक्त जोन द्वारा सूचित किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-5--(जोन-11)-- (249/26.10.2017)

विषय:- ग्राम गाडौता तहसील मौजभाबाद के खसरा नं. 191, 192, 493, 722/534, 430, 436, 437, 438, 441, 442, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 540, 714/192, 723/534, 732/441, 505, 190, 499, 503, 504, 509, 510, 719/508, 721/508, 516, 517, 720/508, 511, 497,



783/497, 736/497, 524, 525, 526 किता 41 रकबा 23.90 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना "रॉयल हेबिटेड" के अनुमोदन किये जाने के संबंध में। बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर का निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी में अंकित शर्तों की पालना जोन स्तर से सुनिश्चित की जावे। योजना में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क के आंशिक भाग का समर्पणनामा लिया जाकर जमाबंदी के आधार पर उपायुक्त द्वारा परीक्षण किया जावे। ले आउट प्लान में व्यवसायिक क्षेत्रफल नियमानुसार 4 प्रतिशत रखने की शर्त पर योजना अनुमोदित की जावे।

एजेण्डा संख्या:-6-(जोन-12)- (249/26.10.2017)

विषय:- ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 457/13, 457/14, 455, 456, 452/3 शा.न.453 कुल किता 5 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-7-(जोन-12)- (249/26.10.2017)

विषय:- ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 541 व 542 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1 (जोन-12) - (249/26.10.2017) (नीतिगत निर्णय)

विषय:- मास्टर विकास योजना 2025 में दर्शित यू-1 क्षेत्र में आवासीय एकल भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर नीतिगत निर्णय लिया गया कि यू-1 क्षेत्र में आवासीय एकल भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर रखा जावे एवं इसके लिये राज्य सरकार से भी दिशा निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-12) - (249/26.10.2017)

विषय:- निजी खातेदारी की भूमि ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं के खसरा नं. 1950/1 1950/2, 1951/1 1951/4 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2489.40 वर्ग मीटर भूमि का फ्लैटेड ग्रुप इन्डस्ट्रिज (औद्योगिक) का उपविभाजन स्वीकृति बाबत।



निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव की अधिसूचना दिनांक 17.5.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना 2017 की अभियान अवधि के लिए उपविभाजन एवं पुर्नगठन की शक्तियों को 3000 वर्गमीटर तक कमटी को प्रत्योजित किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा प्रस्तावित उपविभाजन स्वीकृत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-11) (249/26.10.2017)

विषय:- सेक्टर 51,52,53 में 400 के.वी की एच.टी. लाईन के सेफ्टी कोरीडोर के पश्चात सडक स्वीकृत के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि एच.टी. लाईन के सेफ्टी कोरीडोर के सहारे स्वीकृत अन्य योजनाओं के संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त प्रकरण को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-7) (249/26.10.2017)

विषय:- चित्रकूट योजना के भूसं बी-2/19 में से चौड़ी की गई सडक के लिये भूमि लेने एवं आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग हेतु रूपान्तरण शुल्क के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर मास्टर विकास योजना 2025 अनुसार गोंधी पथ सडक की चौड़ाई को 24.0 मीटर से बढ़ाकर सडक के दोनों तरफ के भूखण्डों का 3-3 मीटर कम करते हुये सडक की चौड़ाई 30.0 मीटर करने एवं भूखण्डों पर मास्टर प्लान अनुसार मिश्रित भू-उपयोग, आवश्यकत रूपान्तरण शुल्क जमा होने पर अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

31/10/17
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/ स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2017/डी-7 दिनांक:- 31/10/17

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/एल.पी.सी-भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)/बीपी जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

31/10/17
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)